(24)

न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1263–पी.बी.आर./2003 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–02–2002 पारित व्दारा – अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग, सागर – प्र0क0 1453/अ–6/96–97 अपील

श्रीमती कुसुम रानी पत्नि रामआसरे ब्राहमण
ग्राम रतनपारा तहसील लोंड़ी जिला छतरपुर ––आवेदक

विरूद्ध

1– रामनारायण पुत्र तुलसीदास ब्राहमण
2– उमाशॅकर पुत्र बैजनाथ भुर्जी
दोनों निवासी ग्राम मुड़ेरी तहसील लौंड़ी
जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ––––अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय )

आ दे श

(आज दिनांक 5 – 1 –2016 को पारित)

यह निगरानी अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 1453/अ–6/96–97 अपील में पारित आदेश दिनांक 18–02–2002 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रतनपारा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 33/2 रकबा 0.486 हैक्टर, सर्वे क्रमांक 43/2 रकबा 0.372 हैक्टर तथा सर्वे क्रमांक 55 रकबा 0.668 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1–526 हैक्टर पर व्यवहार न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 47 अ 86 में पारित आदेश दिनांक 20.3.1987 से आवेदिका को आधिपत्यधारी

घोषित किया गया। इसी क्रम में तहसीलदार लौड़ी के समक्ष आवेदन आने पर प्रकरण क्रमांक 436/अ-68/85-86 में पारित आदेश दिनांक 21-4-87 से विक्रय पत्र के आधार पर केता आवेदिका का नामान्तरण किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक-1 ने अनुविभागीय अधिकारी लौड़ी के समक्ष दिनांक 7-7-1987 को अपील क्रमांक 83/88-89 प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 28-10-96 से अपील समय-सीमा के वाहर प्रस्तुत होने के आधार पर निरस्त कर दी। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28-10-96 के विरूद्ध अपर आयुक्त, सागर संभाग , सागर के समक्ष अपील क्रमांक 1453 अ-6/96-97 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 18.12. 2002 से अपील ऑशिकरूप से स्वीकार की गई तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि वादग्रस्त भूमि पटटे की थी या नहीं - जांच की जाय तथा यदि पटटे की है और कलेक्टर से विक्रय अनुमति प्राप्त नहीं की गई है तो संहिता की धारा 165 के अंतर्गत कार्यवाही की जाय। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर मनन करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अवलोकन से पाया गया कि जब अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष यह तथ्य परिलक्षित हुआ है कि कि ग्राम रतनपारा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 33/2

रकबा 0.486 हैक्टर, सर्वे क्रमांक 43/2 रकबा 0.372 हैक्टर तथा सर्वे क्रमांक 55 रकबा 0.668 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1-526 हैक्टर पटटे पर प्राप्त भूमि है जिसे आवेदक ने क्रय किया है और विक्रय पत्र के आधार पर भले ही तहसीलदार लौड़ी ने प्रकरण क्रमांक 436/अ-6/ 85-86 में पारित आदेश दिनांक 21-4-87 से नामान्तरण कर दिया है भूमि पटटे की होने के कारण यह जॉच आवश्यक है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 के उल्लॅघन में भूमि का अंतरण तो नहीं हुआ है और इसी जांच के उद्धेश्य से अपर आयुक्त, सागर संभाग , सागर ने अपील क्रमांक 1453 अ-6/ 96-97 में आदेश दिनांक 18.12.2002 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर जांच कराने का निर्णय लिया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है। वैसे भी आवेदक के पास जांच के दौरान अपना पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 18-12-2002 में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। फलतः अपर आयुक्त, सागर संभाग , सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 1453 अ-6/96-97 अपील में आदेश दिनांक 18.12.2002 उचित पाये जाने से स्थिर रखा जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर